



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 811) पटना, शुक्रवार, 17 जुलाई 2026

परिवहन विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई, 2026

सं० 02/कर (संशोधन)-03/2016-5880/परि०—बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-5(3) एवं 6(घ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूचियों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है—

1. (क) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची-1, भाग-‘क’ के खण्ड-‘अ’ के कॉलम-4 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :—

खंड	क्रमांक	निबंधन का स्टेज	वाहनों का वर्ग	
			मोटर साइकिल	
1	2	3	4	
अ		निबंधन के समय अथवा प्रथम निबंधन के समय 1 वर्ष तक की उम्र।	(i)	एक लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से।
			(ii)	एक लाख से उपर एवं आठ लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहन पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से।
			(iii)	आठ लाख से उपर एवं पंद्रह लाख तक Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 11% की दर से।
			(iv)	पंद्रह लाख से उपर Ex-Showroom Price के दो पहिया वाहनों पर एक एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 13% की दर से।

(ख) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची-1 भाग-ग के क्रम संख्या-3 (ग) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

"3 (ग) तिपहिया वाहन:

(क) चार व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)
नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 11,000 (ग्यारह हजार रुपये मात्र) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 (दस) वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 7,700 (सात हजार सात सौ) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 7,000 (सात हजार) कर देय होगा।

(ख) 7 व्यक्तियों तक की बैठान क्षमता (चालक को छोड़कर)
नये निबंधित तिपहिया वाहनों पर 15 वर्षों के लिए रु0 16,000 (सोलह हजार) एकमुश्त कर देय होगा।

अथवा

(i) सभी तीन पहिया वाहनों पर जो निबंधन के समय एक वर्ष की उम्र तक के हों, राज्य में प्रथम निबंधन की तिथि से 10 वर्षों के लिए एक मुश्त कर रु0 12,000 (बारह हजार) देय होगा।

(ii) 10 वर्षों से अधिक पुराने तिपहिया वाहनों पर अगले प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए एकमुश्त रु0 10,000 (दस हजार) कर देय होगा।

(ग) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची-1, भाग-ग के क्रम संख्या-3(क)(ii)(क) के अन्तर्गत मोटरसाईकिल के कर की दर को निम्नरूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(i) एक लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 9% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(ii) एक लाख से उपर एवं आठ तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 10% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iii) आठ लाख से उपर एवं 15 लाख तक Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 11% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(iv) 15 लाख से उपर Ex-Showroom Price के व्यवसायिक उपयोग में लाये जाने वाले या रखे गये नये मोटरसाईकिल पर एकमुश्त कर वाहन के Ex-Showroom Price का 13% की दर से 15 वर्षों के लिये।

(v) बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-2(च) में वर्णित टैक्सी/मोटर कैब/मैक्सी कैब (तिपहिया वाहन को छोड़कर) के कर की दर यथावत् रहेंगे।

(घ) बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 से उपाबद्ध अनुसूची-III को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है -

क्र0	व्यापारी या निर्माता के अधीन वाहन की विवरणी	व्यापारी या निर्माता के अधीन प्रति वाहन पर वार्षिक कर
1	मोटर साईकिल	₹ 600/-
2	भारी वाहनों के चेसिस	₹ 1000/-
3	अन्य वाहन	₹ 800/-

2. यह बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से सात कार्य दिवस के पश्चात् प्रवृत्त होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राज कुमार,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 811-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>